

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2020/ई(जीआर)II/कोविड-19/डब्ल्यूएफएच/1

नई दिल्ली, दिनांक: 31.03.2020


महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां।

विषय: कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सकों की रिक्ति से अधिक संख्या में नियुक्ति करना।

- संदर्भ:** i. कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड का दिनांक 30.03.2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस (मद सं.13 देखें)
ii. इस कार्यालय का दिनांक 28.03.2020 और 31.03.2020 का समसंख्यक पत्र।

इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में और रेलों द्वारा वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित करने में आने वाली परेशानियों को देखते हुए, चिकित्सकों को नियुक्त करने के माध्यम पर महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जा सकता है।

2. बोर्ड के उक्त संदर्भित पत्रों के तहत सूचित की गई अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।


(कमल किशोर)

उप निदेशक/स्थापना (राजपत्रित भर्ती)-II

रेलवे बोर्ड

टेलीफोन-011-23047261

ईमेल: egr2.349@gmail.com